न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।
उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}
(जे0ओ0 कोड नम्बरः-2397)
UPST010083262024

फौजदारी वाद संख्याः 1275/2024,
वीरेन्द्र-------- बनाम--------इन्तराम यादव आदि,
दिनांक 01.07.2026

1. पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

2. संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार है कि दिनांक 14.06.2024 को प्रातः लगभग 9:00 बजे परिवादी के 11 वर्षीय पुत्र आदर्श एवं अभियुक्त इन्तराम यादव के पुत्र आदर्श यादव गाँव के तिराहे पर खेल रहे थे। खेल के दौरान विपक्षी के पुत्र द्वारा परिवादी के पुत्र के साथ मारपीट किए जाने की शिकायत लेकर परिवादी जब विपक्षी इन्तराम यादव के घर पहुँचा, तो विपक्षीगण ने उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने एवं हाथ-पैर तोड़ देने की धमकी दी। विरोध करने पर विपक्षी इन्तराम यादव एवं इन्द्रजीत यादव लाठी-डण्डा लेकर परिवादी को दौड़ाने लगे तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया, जिससे परिवादी जान बचाकर अपने घर में घुस गया। इसके बाद बाहर आई परिवादी की पत्नी के साथ भी विपक्षीगण ने घर में घुसकर लात-घूँसों एवं लाठी-डण्डों से मारपीट की, जिससे परिवादी एवं उसकी पत्नी को चोटें आईं। शोर सुनकर ग्रामीणों के हस्तक्षेप से उनकी जान बची। घटना की शिकायत करने थाना कादीपुर जाते समय विपक्षीगण रास्ते में घात लगाए बैठे मिले, जिससे परिवादी वापस लौट आया और अगले दिन किसी प्रकार थाना पहुँचकर सूचना दी, किन्तु पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज न कर केवल जाँच के बाद कार्यवाही करने की बात कही।

3. परिवादी वीरेन्द्र कुमार द्वारा धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 14.06.2024 को सुबह 9 बजे मेरा और इन्तराम का लड़का खेल रहे थे, उनके लड़के ने मेरे लड़के को मतारा व घर आया तो उसे चोट लगी थी। मैं अनके घर गया कि क्यों मारा है। तो इन्तराम ने मुझे कहा चमार मेरे घर ओरहन लेकर आ रहे हो वहां पर इन्द्रजीत भी थे, उसने कहा कि पकड़ो हमे मारा जाये तो मैं भाग आया लेकिन मेरे पीछे ये दोनों लोग मेरे घर में आ गये और मुझे मारने पीटने लगे मैंने हल्ला गुहार किया तो कुछ लोग आकर मुझे बचाए। मैं थाने जा रहा था तो रास्ते में ये दोनों खड़े थे और मुझे थाने नहीं जाने दिए। मैं दूसरे दिन थाने गया वहां पर उन्होंने कहा पाओ जांच करेंगे। दो-चार दिन देखा कुछ नहीं हुआ मैं एस0पी0 के यहां गया पर वहां भी कुछ नहीं हुआ तो मैं न्यायालय में आया। इसी आशय का कथन विजय बहादुर पुत्र अन्नू राम एवं

विजय बहादुर पुत्र राम निहोर द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है।

मैंने परिवादी के बयान, उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान तथा समस्त पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण अभिलेखों, परिवादी के धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सशपथ कथन, धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित गवाहों के कथनों का सम्यक् परिशीलन किया गया। अभिलेख से विदित होता है कि कथित घटना दिनांक 14.06.2024 की बतायी गयी है। अभिलेख से यह भी विदित होता है कि उक्त घटना के संबंध में विपक्षीगण द्वारा उसी घटना के संबंध में परिवादी पक्ष के विरुद्ध थाना कादीपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व में ही पंजीकृत करायी जा चुकी है। इसके उपरान्त परिवादी द्वारा तत्काल कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि दिनांक 19.06.2024 को थाना पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार परिवादी की ओर से की गयी शिकायत में विलम्ब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। परिवादपत्र में यह कथन किया गया है कि घटना में परिवादी एवं उसकी पत्नी को चोटें आयीं, किन्तु कथित चोटों के समर्थन में कोई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट अथवा चोट संबंधी अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, परिवादपत्र में जिन दो व्यक्तियों को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है, उनके नाम अथवा घटना के समय उनकी उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बाद में धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उनके बयान कराये गये हैं, जिससे उनके कथनों की स्वाभाविकता एवं विश्वसनीयता प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में वर्तमान परिवाद में किये गये आरोप प्रथम दृष्टया उसी घटना के प्रतिशोधस्वरूप अथवा अपने बचाव में विपक्षी पक्ष पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाए गये प्रतीत होते हैं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पुष्टिकरण से रहित है तथा उपलब्ध अभिलेखों से आरोपों की पर्याप्त पुष्टि नहीं होती है। अतः प्रस्तुत परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

फौजदारी वाद संख्या 1275/2024 वीरेन्द्र बनाम इन्तराम यादव आदि, धारा 203 द0प्र0सं0/226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

ह0

(सुधीर सिंह स्टेनो)

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट
सुलतानपुर।
(जे0ओ0 कोड नम्बरः–2397)